



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938

No. 114]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

फा.सं. वीकेएस/डीबी/03/पीपीएल.- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010, में,— निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः-

(क) विनियम 13 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

“(1) प्राधिकृत कंपनी मासिक व तिमाही आधार पर प्राप्त लक्ष्यों, किए गए व्यय, चल रहे कार्यों, अनुमति का ब्यौरा तथा अन्य संगत सूचना से संबंधित लब्ध प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा अनुसूची ड पर दिए गए प्रपत्रों के तिमाही रिपोर्ट के प्रारूप डं. -1ए-पीपीएल, डं. -1बी—पीपीएल और मासिक रिपोर्ट के प्रारूप ड -2 - पीपीएल के अनुसार भर कर उपलब्ध कराएगी।”;

(ii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, नामतः :-

“(5) बोर्ड को आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कंपनी एक अधिकारी को पदांकित करेगी और उसकी सूचना बोर्ड को देगी। पदांकित अधिकारी में कोई बदलाव होने पर 7 कार्य दिवस के भीतर प्राधिकृत कंपनी द्वारा बोर्ड को सूचित किया जाएगा।”;

(ख) विनियम 14 में, उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, नामतः :-

“(9) अधिकृत कंपनी कमीशनिंग पश्चात की, सूचना आंकड़े अनुसूची ड पर प्रस्तुत प्रारूप में तिमाही रिपोर्ट 1- ए -पीपीएल, ड-1-बी -पीपीएल और मासिक रिपोर्ट के लिए ड- 2- पीपीएल प्रारूपों के अनुसार भर कर प्रस्तुत करती रहेगी”;

(ग) अनुसूची ड. के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः-

अनुसूची ड.

[विनियम 13 (1) एवं विनियम 14 (9) देखें]

क: आंकड़ों की तिमाही प्रस्तुति प्राधिकृत कंपनी द्वारा यहां नीचे दर्शाए गए प्रारूपों में की जाएगी:-

- पीपीएल पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रारूप ड-1ए-पीपीएल : भौतिक मापदंड
- पीपीएल पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रारूप ड-1बी-पीपीएल : वित्तीय मापदंड

ख : आंकड़ों की मासिक रिपोर्ट की प्रस्तुति प्राधिकृत कंपनी द्वारा यहां नीचे दर्शाए गए प्रारूपों में की जाएगी:-

- पेट्रोलियम पाइपलाइन थ्रोपुट पर मासिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप ड. -2-पीपीएल

ग: उपरोक्त प्रारूप में कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित सूचना एवं आंकड़ों का विश्लेषण बोर्ड द्वारा तुलना करके किया जाएगा-

- परियोजना की कमीशनिंग सहित कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति बनाम डीएफआर में चिन्हित, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य; और
- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक मात्रा बनाम बिड में प्रतिबद्ध मात्रा।

घ: प्रगति की मॉनीटरिंग बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी और कमी तथा अंतर, यदि कोई हो, की सूचना तुरंत समाधान हेतु कंपनी को भेजी जाएगी। सूचनावधि के भीतर वार्षिक तौर पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विलम्ब के मामले में अथवा बार-बार उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010, के विनियम 16 के तहत विनिर्दिष्ट परिणाम भुगतने होंगे।

संलग्न प्रारूप:

अनुसूची- ड-/प्रारूप ड.-1ए-पीपीएल		पेट्रोलियम पाइपलाइन पर तिमाही रिपोर्ट: भौतिक मापदंड			
1. कंपनी का नाम					
2. परियोजना का नाम					
3. समाप्य तिमाही रिपोर्ट		4. वर्ष			
		7. तिमाही		8. संचयी (प्रारम्भ से)	
5. पेट्रोलियम पाइप- लाइन की लम्बाई (किलोमीटर)	6. व्यास – इंच में	लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
व्यास-1					
व्यास-2					
व्यास-3					
व्यास-4					
व्यास-5					
9. पंपिंग स्टेशन मध्यवर्ती आपूर्ति स्टेशन सुपुर्दगी टर्मिनल्स की संख्या		लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक

पंपिंग स्टेशन				
मध्यवर्ती आपूर्ति स्टेशन				
सुपुर्दगी टर्मिनल्स				
10. परियोजना समापन स्थिति – वास्तविक बनाम अनुमोदित लक्ष्य (%)	लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
(पहले से कमीशंड पाइपलाइनों के लिए लागू नहीं)				
11. डिजाइन क्षमता (एमएमटी)				
मौजूदा क्षमता				
तिमाही में जोड़ा गया				
कुल- तिमाही के अंत में				
12. अन्य कोई जानकारी (कृपया बॉक्स में लिखें)				
* जहां कहीं लागू हो लक्ष्य के आंकड़े दिए जा सकते हैं। तिमाही लक्ष्य वर्ष का ¼ लिया जाए				
13. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:				
(1) किसी कॉलम में आंकड़े शून्य होने पर कृपया '0' इंड्राज करें। (2) तिमाही समाप्ति से 30 दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (3) निदेशक द्वारा अधिकृत महा प्रबंधक या उच्च रैंक के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित रिपोर्ट की स्कैंड प्रति कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।				
14. नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यावित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स / पंक्तियों में मांगी गई जानकारी को तकनीकी कारणों की वजह से पुनः व्यवस्थित करना पड़े।				

अनुसूची- ड/ प्रारूप ड-1बी- पीपीएल		पेट्रोलियम पाइपलाइन पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट : वित्तीय मापदंड		
1. कंपनी का नाम				
2. परियोजना का नाम				
3. स्वामित्व विवरण	नाम		शेयर%	
	नाम		शेयर%	
	नाम		शेयर%	
	नाम		शेयर%	
			5. वर्ष	
सभी आंकड़े लाख में प्रस्तुत किए जाएं जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो				
पूंजीगत निवेश				
6. अचल संपत्तियां		12. अर्जित राजस्व		
अथ शेष		पेट्रोलियम उत्पादों का परिषण		
प्रत्यक्ष जोड़		अन्य आय		
पूंजीगत कार्य प्रगति से हस्तांतरण		कुल राजस्व		
विलोपन /हस्तांतरण		13. लाभ /हानि		
अंत शेष		कर से पूर्व लाभ		

7. पूंजीगत कार्य प्रगति(सीडब्ल्यूआईपी)		कर	
अथ शेष		कर उपरांत लाभ	
परिवर्धन		14. ऋण स्थिति	
नियत परिसम्पत्तियों के लिए हस्तांतरण		(क) मियादि ऋण	
विलोपन /हस्तांतरण		अथ शेष	
अंत शेष		तिमाही में जोड़ा गया	
8. संचालन व्यय		तिमाही के दौरान चुकाया	
बिक्री किए माल की लागत		अंत शेष	
उपयोगिताएं –बिजली और इंधन		औसत ब्याज दर (%)	
वेतन		(ख) कार्यशील पूंजी ऋण	
मरम्मत और रख-रखाव		अथ शेष	
सा. प्रशासनिक व्यय		जोड़ा गया	
बीमा		चुकाया	
अन्य		निवल बदलाव	
9. वित्तीय व्यय		औसत ब्याज दर (%)	
कार्यशील उधार पूंजी पर ब्याज			
मियादि ऋण पर ब्याज		15. अन्य कोई जानकारी (कृपया बॉक्स में लिखें)	
10. हास			
11. कुल व्यय			
16. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:			
(1) माह के लिए किसी कॉलम में आंकड़े शून्य होने पर कृपया '0' इंड्राज करें। (2) तिमाही समाप्ति से 60 दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करें (3) निदेशक द्वारा अधिकृत महा प्रबंधक या उच्च रैंक के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित रिपोर्ट की स्कैंड प्रति कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए। (4) वार्षिक रिपोर्ट हेतु समाप्य वर्ष (4वीं तिमाही) एक सनदी लेखाकार द्वारा भली भांति प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करें। (5) कृपया सुनिश्चित करें कि इस वर्ष की चार तिमाहियों के लिए प्रस्तुत आंकड़ों की कुल राशि कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक आंकड़ों के बराबर है।			
17. नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यावित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारी को तकनीकी कारणों की वजह से पुनः व्यवस्थित करना पड़े।			
अनुसूची –डं./ प्रारूप-डं. 2 पीपीएल	पाइपलाइन थ्रोपुट पर मासिक रिपोर्ट	पेट्रोलियम	
1. कंपनी का नाम			
2. परियोजना का नाम			
3. माह		4. वर्ष	
5. लम्बाई (किलोमीटर)		6. डिजाइन क्षमता(एमएमटी)	

7. माह	8. पाइपलाइन थ्रोपुट आंकड़े (3) दशमलव तक एमएमटी)		9. संचयी क्षमता सह-उपयोग (%)
	मासिक	संचयी	
अप्रैल			
मई			
जून			
जुलाई			
अगस्त			
सितम्बर			
अक्तूबर			
नवम्बर			
दिसम्बर			
जनवरी			
फरवरी			
मार्च			
10. अन्य कोई जानकारी (कृपया बॉक्स में लिखें)			
11. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:			
(1) किसी कॉलम में माह के लिए आंकड़े शून्य होने पर; कृपया '0' इंद्राज करें (2) रिपोर्ट आगामी माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत की जा सके। (3) रिपोर्ट की स्कैंड प्रति हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।			
12. नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यावित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुनः व्यवस्थित करना पड़े।			

उपमन्यु चटर्जी, सचिव
[विज्ञा.-III/4/असा./418]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 722(अ.) दिनांक 01/09/2010 को अधिसूचित हुए थे तथा फा.सं. एल-मिस/VI/1/2007 दिनांक 01/01/2015 के माध्यम से संशोधित किए गए।

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2016

F. No. VKS/DB/03/PPL.— In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, -

(a) in regulation 13, -

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) a authorized entity shall provide, on a monthly and quarterly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in-progress and other relevant information in the forms at Schedule E as per formats E-1A-PPL, E-1B-PPL for quarterly reports and E-2-PPL for monthly report.”;

(ii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be added, namely:-

“(5) a authorized entity shall designate an official of the entity for submitting data / information to the Board and intimate the same to the Board. Any change in the designated official shall be communicated to the Board by the authorized entity within 7 working days.”;

(b) in regulation 14, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be added, namely:-

“(9) a authorized entity shall continue to submit post commissioning information / data in the forms at Schedule E as per formats E-1A-PPL, E-1B-PPL for Quarterly reports and E-2-PPL for monthly report.”;

(c) for Schedule E, the following shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE E

[see regulation 13 (1) and regulation 14 (9)]

A: Quarterly submission of data by authorized entity in the following formats appended here below:-

- (i) Format E-1A-PPL for Quarterly Progress Report on CGD: Physical Parameters
- (ii) Format E-1B-PPL for Quarterly Progress Report on CGD: Financial Parameters

B: Monthly submission of data by authorized entity in the following format appended here below:-

- (i) Format E-2-PPL for Monthly Report on Petroleum Pipeline Throughput

C: The data and information required to be submitted by the entity in the above formats shall be analyzed by the Board by comparing the –

- (i) actual progress made by the entity including commissioning of the project versus the physical and financial targets, identified in its DFR; and
- (ii) actual volume of petroleum products transported in the petroleum and petroleum products pipeline versus the volume committed in the bid.

D: Monitoring of the progress shall be taken up by the Board on a quarterly basis and the notice of deviations and shortfalls, if any, shall be sent to the entity for a prompt resolution. In case of any delay in meeting the yearly commitments within the notice period or in case of repeated violations, the entity may face the consequences specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.

Appended Formats:

Schedule-E / Format: E-1A-PPL	Quarterly Progress Report on Petroleum Pipelines: Physical Parameters
1. Name of Entity	
2. Project Name	

3. Report for the Quarter ending		4. Year			
		7. Quarter		8. Cumulative (since inception)	
5. Petroleum Pipeline Length (Kilometer)	6. Diameter in Inches	Target*	Actual	Target	Actual
Diameter-1					
Diameter-2					
Diameter-3					
Diameter-4					
Diameter-5					
9. No. of Pumping Stations, Intermediate terminals & delivery terminals		Target*	Actual	Target	Actual
Pumping Stations					
Intermediate Delivery Stations					
Delivery Terminals					
10. Project completion status - Actual versus Approved Target (%)		Target%*	Actual%	Target	Actual
(Not Applicable for already commissioned pipelines)					
11. Design Capacity (MMT)					
Existing capacity					
Added during the quarter					
Total at the end of quarter					
12. Any other information (Please write in the box)					
* Target figures may be given wherever applicable. Quarterly target may be taken as 1/4th of annual target.					
13. Important guidelines for submitting the report:					
(1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted within 30 days from the close of Quarter.(3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report.					
14. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.					

Schedule-E / Format: E-1B-PPL		Quarterly Progress Report on Petroleum Pipelines: Financial Parameters			
1. Name of Entity					
2. Project Name					
3. Ownership Details	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
4. Report for the Quarter ending		5. Year			
All figures to be submitted in Lacs Rupees unless specified otherwise					
Capital Investments					
6. Fixed Assets			12. Revenue Earned		
Opening balance		Transmission of Petroleum Products			
Direct additions		Other income			
Transfer from Capital Work-in-Progress		Total Revenue			
Deletions / Transfers		13. Profit / Loss			
Closing balance		Profit before tax			
7. Capital Work-in-Progress (CWIP)		Tax			

Opening balance		Profit after tax		
Additions		14. Loans Status		
Transfer to fixed assets		(a) Term Loans		
Deletions / Transfers		Opening balance		
Closing balance		Added during quarter		
8. Operating Expenses		Repaid during Qtr.		
Cost of goods sold		Closing balance		
Utilities - Power and Fuel		Average Interest Rate (%)		
Salaries		(b) Working Capital Loans		
Repair and maintenance		Opening balance		
Gen. administrative expenses		Added		
Insurance		Repaid		
Others		Nett change		
9. Financial Expenses		Average Interest Rate (%)		
Interest on Working capital borrowings		15. Any other information (Please write in the box)		
Interest on term loans				
10. Depreciation				
11. Total Expenses				
16. Important guidelines for submitting the report:				
(1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted within 60 days from the close of Quarter. (3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report. (4) Annual report for the year-end (4th Quarter) should be submitted duly certified by a Chartered Accountant (CA) (5) Please ensure that sum total of figures submitted for four quarters of the year is equal to the company's audited annual data.				
17. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.				

Schedule-E / Format: E-2-PPL	Monthly Report on Petroleum Pipeline Throughput		
1. Name of Entity			
2. Name of Pipeline			
3. Month		4. Year	
5. Length (Kilometers)		6. Design Capacity (MMT)	
7. Months	8. Pipeline Throughput Data (in MMT up to 3 decimals)		9. Cum. Capacity Utilization (%)
	Monthly	Cumulative	
April			
May			
June			
July			
August			
September			
October			
November			
December			

January			
February			
March			
10. Any other information (Please write in the box)			
11. Important instructions for submitting report:			
(1) In case data is nil for any of the columns for the month, please enter zero '0' (2) Report must be submitted by 20th of the following month (3) A scanned copy of the signed & stamped report must be uploaded within 7 days from the date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report.			
12. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.			

UPAMANYU CHATTERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./418]

Footnote: Principal regulations were notified vide G.S.R. 722 (E) dated 01/09/2010 and amended vide F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 01/01/2015.